



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 10 फरवरी 2026 — माघ 21, शक 1947

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक/LAND/2349/2025-FOREST.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट वनक्षेत्र, जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्र. 5037 दिनांक 07/12/1878 द्वारा आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्रामों (बिरारपानी, छिरहट्टा एवं तिलईडबरा) के पुनर्वास हेतु राजस्व विभाग को हस्तांतरित मानी जाएगी।

तालिका

जिला - मुंगेली		तहसील - लोरमी		वनमंडल - मुंगेली		वन परिक्षेत्र - लोरमी	
स. क्र.	वन परिसर का नाम	वनखंड का नाम	वन कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयरमें) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा	आरक्षित वन नहीं रहने का कारण	परिसीमाएं	जी.पी.एस. निर्देशांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भरतपुर	देवसरा	558 कक्ष क्र. 558 का कुल रकबा 150.139 हे.	119.389	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली के पत्र क्र.8-93/2013 F C (p t) दिनांक 07.08.2023 अनुसार अचानकमार टाईगर रिजर्व में स्थित ग्राम बिरारपानी, छिरहट्टा के पुनर्वास हेतु।	उत्तर - RF कम्पार्टमेंट संख्या 557,556,555 की दक्षिणी सीमा के साथ लोरमी रेंज कम्पार्टमेंट संख्या 5 5 7 की कृत्रिम सीमा मुनारा संख्या 1 5 से 19 तक। पूर्व- RF कम्पार्टमेंट संख्या 1 5 3 3 की पश्चिम सीमा के साथ भारत सागर जलाशय के माध्यम से गांव गुनापुर का राजस्व क्षेत्र, साथ ही लोरमी रेंज के कृत्रिम सीमा खंड संख्या 557, मुनारा संख्या 1 9 से 31 तक।	N - 22° 20' 22.07" E - 81° 42' 34.45" से N - 22° 20' 19.884" E - 81° 42' 39.042" तक N - 22° 20' 19.884" E - 81° 42' 39.042" से N - 22° 18' 18.383" E - 81° 42' 27.047" तक

2	भरतपुर	देवसरा	557 कक्ष क्र. 557 का कुल रकबा 145.262 हे.	9.411	दक्षिण -RF 558 की पूर्वी सीमा के साथ कृत्रिम सीमा रेखा के माध्यम से मुनारा संख्या 05 के 31 तक, साथ ही गांव नवाडीह और गांव भरतपुर की राजस्व सीमा के साथ।	N - 22 ⁰ 18' 18.383" E - 81 ⁰ 42' 27.047" से N - 22 ⁰ 19' 9.41" E - 81 ⁰ 42' 27.18" तक
					पश्चिम -लोरमी परिक्षेत्र की कृत्रिम सीमा रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 557 से मुनारा संख्या 05 से 15 तक।	N - 22 ⁰ 19' 9.41" E - 81 ⁰ 42' 27.18" से - N - 22 ⁰ 20' 22.075" E - 81 ⁰ 42' 34.451" एवं N - 22 ⁰ 20' 22.07" E - 81 ⁰ 42' 34.45" तक
					उत्तर -लोरमी रेंज और वन विकास निगम बिलासपुर की सामान्य सीमा, लोरमी रेंज की कृत्रिम सीमा रेखा के माध्यम से मुनारा नंबर 11 से 19 तक।	N - 22 ⁰ 18' 24.00" E - 81 ⁰ 47' 39.00" से N - 22 ⁰ 17' 32.00" E - 81 ⁰ 47' 52.00" तक
				भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण	पूर्व -तखतपुर परिक्षेत्र आर एफ कक्ष क्रमांक 95 की पश्चिमी सीमा, लोरमी रेंज की कृत्रिम सीमा रेखा के माध्यम से मुनारा संख्या 29	N - 22 ⁰ 17' 32.00" E - 81 ⁰ 47' 52.00" से

3	जोगीपुर	अचानकमार	96 कक्ष क्र. 96 का कुल रकबा 234.718 हे.	126.500	प्रभाग) नई दिल्ली के पत्र क्र.8-93/2013 FC (pt) दिनांक 07.08.2023 अनुसार अचानकमार टाईगर रिजर्व में स्थित ग्राम तिलईडबरा के पुनर्वास हेतु।	से 31 तक। आर एफ 95 और वन विकास निगम बिलासपुर की साझा सीमा होते हुए गांव संवतपुर और जोगीपुर के राजस्व क्षेत्र तक।	N - 22° 17' 22.00" E - 81° 47' 45.00" तक
						दक्षिण -तखतपुर परिक्षेत्र बिलासपुर वनमण्डल और लोरमी परिक्षेत्र मुंगेली वनमण्डल की साझा कृत्रिम सीमा मुनारा क्रमांक 31 से 01 तक।	N - 22° 17' 22.00" E - 81° 47' 45.00" से N - 22° 18' 20.00" E - 81° 47' 42.00" एवं N - 22° 18' 24.00" E - 81° 47' 39.00" तक
						पश्चिम-तखतपुर परिक्षेत्र बिलासपुर वनमण्डल और तखतपुर रेंज एवं मुंगेली वनमण्डल लोरमी परिक्षेत्र की साझा कृत्रिम सीमा मुनारा संख्या 01 से 11 तक, जो रामहेपुर गांव से होकर गुजरती है।	N - 22° 18' 24.00" E - 81° 47' 39.00" से N - 22° 17' 41.00" E - 81° 47' 14.00" तक
		योग		255.300			

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रणय मिश्रा, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2026

क्रमांक/LAND/2349/2025-FOREST.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/LAND/2349/2025-FOREST दिनांक 9-02-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रणय मिश्रा, विशेष सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 9th February 2026

NOTIFICATION

File No./LAND/2349/2025-FOREST.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby directs that the forest area specified in the table below, which was declared as Reserved Forest by the Notification No. 5037, dated 07/12/1878 of the Forest Department, shall cease to be Reserved Forest from the date of publication of this notification in the gazette of Chhattisgarh, and the said land shall be utilised for the purpose of rehabilitation of villages (Birarpani, Chhirhatta and Tilaidabra) located in the core area of Achanakmar Tiger Reserve, and shall stand transferred to the Revenue Department.

TABLE

District – Mungeli		Tahsil- Lormi		Forest Division-Mungeli		Forest Range- Lormi	
S. No.	Name of Forest Beat	Name of Forest Block	Forest Compartment No.	Area (in hectare) Which will cease to be Reserved Forest	Reasons for ceasing to be Reserved forest	Boundries	GPS Co-ordinates
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bharatpur	Devsara	558 Total area of Compartment No. 558 150.139 ha.	119.389	As per Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division), New Delhi's letter number 8-93/2013-FC (pt) dated 07.08.2023 For the rehabilitation of village Birarpani, Chhirhatta located in Achanakmar Tiger Reserve.	North – Southern boundary of RF compartment no 557, 556, 555 along with artificial boundary of Lormi range compartment no 557 from munara no 15 to 19.	N - 22° 20' 22.07" E - 81° 42' 34.45" to N - 22° 20' 19.884" E - 81° 42' 39.042"
						East – Western boundary of PF compartment no 1533, revenue area of village Gunapur via Bharatsagar reservoir, along with artificial boundary of Lormi range compartment no 557 munara no 19 to 31.	N - 22° 20' 19.884" E - 81° 42' 39.042" to N - 22° 18' 18.383" E - 81° 42' 27.047"
2	Bharatpur	Devsara	557 Total area of Compartment No. 557 145.262 ha.	9.411		South – Eastern boundary of RF 558 through artificial boundary line from munara number 05 to 31, along with revenue border of village Nawadih and village Bharatpur.	N - 22° 18' 18.383" E - 81° 42' 27.047" to N - 22° 19' 9.41" E - 81° 42' 27.18"
						West – Artificial boundary Lormi range of compartment no 557 from munara no 05 to munara no 15	N - 22° 19' 9.41" E - 81° 42' 27.18" to - N - 22° 20' 22.075" E - 81° 42' 34.451" and N - 22° 20' 22.07" E - 81° 42' 34.45"

3	Jogipur	Achanakmar	96 Total area of Compartment No. 96 234.718 ha.	126.500	As per Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division), New Delhi's letter number 8-93/2013- FC (pt) dated 07.08.2023 For the rehabilitation of village Tilaidabra located in Achanakmar Tiger Reserve.	North – Common boundary of Lormi range and Forest Development Corporation Bilaspur through the artificial boundary of Lormi range from munara no 11 to 19. East – Western boundary of Takhatur range RF compartment no 95 through the artificial line of Lormi range from munara no 19 to 31. Common boundary of RF 95 and Forest Development Corporation Bilaspur up to the Revenue area of Villages Sanvatpur and Jogipur. South – Common Artificial boundary of Bilaspur Forest Division Takhatur Range and Mungeli Forest Division Lormi Range from munara no 31 to 01. West – Common Artificial boundary of Bilaspur Forest Division Takhatur Range and Mungeli Forest Division Lormi Range from munara no 01 to 11 passing through Village Ramhepur.	N - 22° 18' 24.00" E - 81° 47' 39.00" to N - 22° 17' 32.00" E - 81° 47' 52.00" N - 22° 17' 32.00" E - 81° 47' 52.00" to N - 22° 17' 22.00" E - 81° 47' 45.00" N - 22° 17' 22.00" E - 81° 47' 45.00" to N - 22° 18' 20.00" E - 81° 47' 42.00" and N - 22° 18' 24.00" E - 81° 47' 39.00" N - 22° 18' 24.00" E - 81° 47' 39.00" to N - 22° 17' 41.00" E - 81° 47' 14.00"
			Total	255.300			

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRANAY MISRA, Special Secretary.